प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 05 जनवरी, 2026

विषय- जनपद-बाराबंकी, पीलीभीत एवं शाजहांपुर में निर्माणाधीन डम्पिंग यार्ड/डिटेंशन यार्ड की स्थापना एवं जनपद शाहजहांपुर में डिटेंशन यार्ड हेतु आवंटित भूमि पर मिट्टी भराई हेतु अवशेष धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-2284इन्फ/2025-10इन्फ/2023-।।, दिनांक 24 दिसम्बर, 2025, पत्र संख्या-1746इन्फ/2025-10इन्फ/2023-।।, दिनांक 19 नवम्बर, 2025, पत्र संख्या-1198इन्फ/2025-10इन्फ/2023-।।, दिनांक 10 सितम्बर, 2025 एवं पत्र संख्या-1588इन्फ/ 2025-10इन्फ/2023-।।, दिनांक 15 सितम्बर, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबंधन समिति की दिनांक 03-12-2025 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में वर्ष 2025-26 परिवहन विभाग : प्रस्तावित पूंजीगत परियोजनाएं की तालिका में मद संख्या-24-वृहत निर्माण कार्य के क्रमांक-1 पर निर्माणाधीन डिटेंशन यार्ड/डम्पिंग यार्ड की स्थापना हेतु द्वितीय/अवशेष किश्त के रूप में निर्गत की जाने वाली धनराशि तथा जनपद शाहजहांपुर में डिटेंशन यार्ड हेतु आवंटित भूमि पर मिट्टी भराई हेतु अवशेष धनराशि पर प्राप्त अनुमोदन के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष-5055-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत निर्माण कार्य की मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1168.00 लाख के सापेक्ष निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार कालम-7 में अंकित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखने की नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित /सस्तुत लागत	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि	द्वितीय/अवशेष किश्त की धनराशि
1	2	3	4	6	7
1	जनपद बाराबंकी में डिटेंशन यार्ड/डम्पिंग यार्ड का निर्माण	कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।	283.08	120.738	162.342
2	जनपद पीलीभीत में डिटेंशन यार्ड/डम्पिंग यार्ड का निर्माण	कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, देहरादून	265.52	120.738	144.782
3	जनपद शाहजहांपुर में डिटेंशन यार्ड/डम्पिंग यार्ड का निर्माण	कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, शाहजहांपुर	239.44	120.738	134.742 (मिट्टी भराई हेतु रू0 16.04 लाख सम्मिलित)
				कुल -	**रू0 441.866 लाख (रू0 चार करोड़ इकतालीस लाख छियासी हजार छः सौ**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(3) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(4) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(5) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(6) वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष में लेखाशीर्ष-5055-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत निर्माण कार्य की मद में प्राविधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-7/2026/3004(1)/तीस-3-2025, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था । (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(राम जतन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।